

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 24 मार्च, 2021

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं०-1228 व 1234 दिनांक 25.06.2019 तथा पत्र सं०-882 दिनांक 15.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- यू०जी०सी० विनियम के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान की गयी है :-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, 12 किमी० माईल स्टोन, भगवानपुर-हरिद्वार हाईवे, ग्राम-इमली खेड़ा, धर्मपुर, रुड़की	बी०टैक०:-		
	1. Civil Enng.	60	2019-20
	2. Computer Science & Enng.	60	
	3. Electrical and Electronics Enng.	90	
	4. Electronics and Comm. Enng.	30	
	5. Mechanical Enng.	90	
एम०बी०ए०	120		

यू०जी०सी०, नियामक संस्था व विश्वविद्यालय के मानकानुसार सभी मानक पूर्ण होने की दशा में कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित उपबन्धों के साथ अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करें व तदनुसृत कृत कार्यवाही से इस सचिवालय को अवगत कराये।

3- अतएव अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या-3581(1)/जी०एस०(शिक्षा)/A4-39-II/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फ़ाईल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।